संख्या- 144 / 2018 / 3843 / चार-2018- 11(बजट)/2018

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु धनराशि रू0 100.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु प्रायोजना की मूल्यांकित लागत रू0 1155.57 लाख $ जी0एस0टी0 की प्रशासकीय एवं रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय 05- जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति-106- संग्रहालय- 800-अन्य व्यय-43- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य हेतु -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 144 /2018 / 3843 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- इकाई प्रभारी इकाई-3, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 गोरखपुर।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय 05- जनपद फैजाबाद में सांस्कृतिक मंच की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	500.00	99.99	99.99	99.99	400.01
योग			99.09	99.09	400.01

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय- 43- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य हेतु 24-वृहत निर्माण	0.01	100.00	99.99	99.99	100.00
योग			99.99	99.99	100.00

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार-मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उलंघन नहीं होता है।

संख्या- आर-ई-179 /ई-7- /दस-18
दिनांक 27 नवम्बर, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

शिशिर
विशेष सचिव।
संस्कृति विभाग

राजेन्द्र राम
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या-144/ 2018 / 3843(1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- इकाई प्रभारी इकाई-3, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 गोरखपुर।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
शिशिर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/